न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां (तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 174 / 2021

सरकार बनाम् मोहरसिंह,धनसिंह,ताराचन्द पुत्रान गुगनराम प्यारेलाल,राजेन्द्र पुत्रान मेहरचन्द जीताराम पुत्र सरदाराराम जाति–जाट निवासी–काकोड़ा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 07.12..2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान बावजूद सूचना अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान मोहरसिंह,धनसिंह,ताराचन्द पुत्रान गुगनराम प्यारेलाल,राजेन्द्र पुत्रान मेहरचन्द जीताराम पुत्र सरदाराराम जाति–जाट निवासी–काकोड़ा, द्वारा रोही मौजा काकोड़ा की भूमि ख.नं. 437 के कुल रकबा 1.15 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.04 है0 पर पक्का मकान व दरवाजा बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान बावजूद सूचना अनुपस्थित। गैर सायलान के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान 0.30 का 50 गुणा तावान 15 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी /गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 19 पर
वर्ष 2021-22 में रूपये 15/- कायम
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़